निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 3 / 2025
दायरा दिनांकः–09.01.2025
निर्णय दिनांकः– 30.6.25

उनवान

1. कालुसिंह आयु 24 वर्ष पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चन्द्रमोहन सिंह राठौड – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि 1. ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज०) में भूमि खसरा नम्बर 41 / 102 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 12.1898 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.0116, खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3657 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 3.1992 हैक्टेयर कुल 09 किता आराजीयात मवाजी 19.2205 हैक्टेयर, अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1 / 144 है, जो दर्ज जमाबन्दी में चला आ रहा है, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो कि शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। प्रार्थी के पिता जगदीश सिंह का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थी का नाम इंतकाल में कालूसिंह के स्थान पर घर में बोलता नाग धनराजसिंह दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कालूसिंह है जिसे दुरस्तीकरण किया जाकर धनराजसिंह के स्थान पर कालूसिंह किया जाना आवश्यक है जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कालूसिंह के स्थान पर धनराजसिंह दर्ज कर दिया गया है। जबकि भारत

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम कालूसिंह ही दर्ज है। 5. उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का नाम कालूसिंह के बजाय धनराजसिंह दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा कृर्षि से सम्बधित प्रारम्भ की जा रही है. लाभकारी योजनाओं से प्रार्थी को वाछित होना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रार्थी को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति हो रहीं है, अतः प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में दर्ज धनराजसिंह के स्थान पर कालूसिंह दर्ज करवाकर खाते में इन्द्राज दुरूस्त करवाने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 15 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति पेन कार्ड परिवार राशन कार्ड जन आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/144 दर्ज है। प्रार्थी के पिता जगदीश सिंह का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थी का नाम इन्तकाल में कालुसिंह के स्थान पर घर में बोलता नाम धनराज सिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कालुसिंह है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में धनराजसिंह के स्थान पर कालुसिंह किया जाना आवश्यक है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में कालुसिंह दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कालुसिंह के बजाय धनराजसिंह दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी लाभकारी योजनाओं से प्रार्थी को वंचित होना पड रहा है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम धनराज सिंह के स्थान पर कालुसिंह दर्ज कराने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखेडानाथुराम की जमाबन्दी सम्वत् 2079 की खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर कुल किता 9 रकबा 19.2205 है0 धनराज सिंह पुत्र जगदीश सिंह हिस्स 1/144 जाति राजपूत सा0देह के नाम दर्ज है उक्त प्रकरण में धनराज सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत के सही नाम की जांच मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान से की गई। मुताबिक ग्राम वासियान ने बताया कि धनराज सिंह पुत्र जगदीश सिंह का सही नाम कालुसिंह है ग्राम वासियान ने बताया कि धनराज सिंह व कालुसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत है उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है उक्त दोनो नामों से ग्रामवासी जानतें है उक्त दोनो नामों की जांच आधार कार्ड पेन कार्ड आदि दस्तावेजों से भी की गई। ग्राम वासियान की जानकारी/जांच से पाया कि धनराज सिंह व कालुसिंह पुत्र जगदीश दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 15 के अनुसार प्रार्थी का नाम धनराज सिंह पुत्र जगदीश सिंह

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खसरा 1/144 दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड पेन कार्ड परिवार राशन कार्ड जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम कालुसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में धनराज सिंह एवं अन्य दस्तावेजात में कालुसिंह दर्ज है तहसीलदार छबडा द्वारा जांच रिपोर्ट में धनराज सिंह व कालुसिंह दोनो नानों से जाना जाता है तथा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में धनराज सिंह के स्थान पर कालुसिंह दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के अन्य दस्तावेज व तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट भी सही नाम कालुसिंह होना बताया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा के खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 41/102 रकबा 0.4046 है0 खसरा नम्बर 45 रकबा 0.6323 है0 खसरा नम्बर 55 रकबा 0.2782 है0 खसरा नम्बर 57 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 63 रकबा 0.0126 है0 खसरा नम्बर 84 रकबा 12.1898 है0 खसरा नम्बर 86 रकबा 1.0116 है0 खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3657 है0 खसरा नम्बर 90 रकबा 3.1992 है0 कुल किता 9 रकबा 19.2205 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम धनराज सिंह के स्थान पर धनराजसिंह उर्फ कालुसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा